**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>09.01.2026</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2026 को मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, कोलकाता, एर्नाकुलम, पंडालम, अदूर, कोडुर, चेन्नई, राजकोट, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ समेत देश भर के 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान, सेल डीड, बैंक खाता विवरण, हस्तलिखित नोट्स/विवरण, चेक, ऋण एग्रीमेंट, निवेश विवरण, नकली नौकरी विज्ञापन की प्रति और डिजिटल सबूत वगैरह से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए तथा उन्हें ज़ब्त कर लिया गया।

ईडी ने सोनपुर जीआरपीएस थाने में बीएनएस 2023 की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर दीपक कुमार तिवारी और सक्षम श्रीवास्तव के खिलाफ जांच शुरू की। उक्त दोनों व्यक्ति बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर नौकरी ढूंढने वालों को ढूंढते हुए पाए गए थे। पूछताछ में पता चला कि वे एक गैंग का हिस्सा थे जो लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके ठग रहा था।

उक्त गिरोह ने भारतीय रेलवे व अन्य विभागों जैसे आरपीएफ, टीटीई, तकनीशियन आदि में सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए एक परिष्कृत फर्जी नौकरी रैकेट चलाया। उन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र बनाए, फर्जी प्रशिक्षण केंद्र चलाए और फर्जी पहचान पत्र और असली सरकारी ईमेल आईडी की तरह लगने वाले ईमेल आईडी भी बनाए जैसे कि जीएम.ईईआर.रेल.नेट.जीओवी.इन@जीमेल.कॉम' **(gm.eer.rail.net.gov.in@gmail.com)।**

रेल मंत्रालय के छद्म वेश में उम्मीदवारों को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजे। उन्होंने नौकरी के प्रस्ताव को वैध दिखाने के लिए उम्मीदवारों को 2-3 महीने के लिए "**मेसर्स टीजरी ऑफिस आरओ**" (**M/s Tesury Office RO**), "**मेसर्स एफसीआई आरओ**" (**M/s FCI RO**), "**आरआरबी**" (**RRB), बाई सैलरी** (**By Salary**) आदि जैसे सरकारी लगने वाले बैंक खातों से वेतन का भुगतान भी किया।

आगे की जांच जारी है।